बजट 2016–17

साकार होगा डिजिटल इंडिया का सपना

—आलोक कुमार

केंद्रीय बजट 2016-17 किसानोन्मुखी है लेकिन राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को गति देना इसके अंतर्निहित कारक में शामिल है। इसके तहत आने वाले तीन वर्ष में छह करोड़ घरों के ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ देने का लक्ष्य हासिल करना है। इसे पाने के लिए बजटीय सावधानों से वृहद् डिजिटल संरचना का निर्माण करना है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करने के काम को गति देनी है। डिजिटल इंडिया के वांछित लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में रोजगार की अपार संभावना पैदा होने की उम्मीद जाहिर की गई है।

बजट 2016–17 में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को गति देने का लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को डिजिटल साक्षरता देना है ताकि देश का हर नागरिक डिजिटल दुनिया से कनेक्ट हो सके। इंटरनेट के जरिए नागरिकों को सरकारी सुविधाएं व लाभ सुगमता के साथ जल्द से जल्द मुहैया कराए जा सकते हैं। जिन्होंने यूरोप और अमेरिका के विकसित जगत को देखा है उनके लिए सरकार की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना समझ के अनुकूल हो सकती है। लेकिन डिजिटल साक्षरता से जो अछूते हैं उनके लिए डिजिटल इंडिया के जरिए ग्रामीण भारत में आने वाली सूचना क्रांति की आंधी का अनुमान लगाना आसान नहीं है।

बस यूं समझ लीजिए कि डिजिटल इंडिया के लागू होने के बाद आप बगैर कागज की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। शिकायतों को आज जैसे कागज पर कलमबद्ध कर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को दिया करते हैं। अब वह काम कागज पर लिखे आवेदनों से नहीं बल्कि इंटरनेट के जरिए होगा। सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए कागज पर लिखा आवेदन मिला या नहीं। उसे सम्हालकर रखा जा सका या नहीं। इन सब पर काफी वक्त और संसाधन गंवाया जाता है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के साकार होते ही शिकायत मिलने के वक्त–तारीख और उस पर समयबद्ध कार्रवाई का अमिट ब्यौरा सदा सर्वदा के लिए मौजूद होगा।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने डिजिटल इंडिया को गति देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बताया है कि इस वर्ष सशक्त और उन्नत कृषि के लिए ई–पोर्टल लांच करना है। इससे किसानों को खेती के अनुकूल सभी जानकारी ई–प्लेटफॉर्म पर

उपलब्ध होगी। किसान आसपास के कृषि वैज्ञानिक केंद्रों से सीधे जुड़ जाएंगे। किसान कृषि वैज्ञानिकों से मौसम मुताबिक खेती के लिए हरसंभव सलाह–मशविरा ले पाएंगे। किसानों के लिए ग्लोबल वार्मिंग की सूचना उपलब्ध होगी और ग्लोबल पोजिशिनंग सिस्टम की सुविधा से लैस भारतीय किसान उत्पाद के बाजार यानी कृषि मंडियों से सीधा जुड़ जाएगा। मंडियों में प्रतिदिन की कीमत की पूरी जानकारी सदैव उसके पास उपलब्ध होगी। बजटीय प्रावधान से आने वाले दिनों में उत्पाद संरक्षण के लिए खेतों के आसपास के भंडारगृहों की क्षमता की जानकारी किसानों को मिलने जा रही है। यह राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए पेश किया गया है।

डिजिटल इंडिया की उपयोगिता

डिजिटल साक्षरता के दायरे में आम भारतीयों को ले आना डिजिटल इंडिया का प्रधान लक्ष्य है। उसके जरिए आसान पहुंच बनाकर नागरिकों तक सभी सरकारी सेवा उपलब्ध कराना है। इसके तहत पूरे देश का डिजीटलीकरण एक महत्वपूर्ण काम है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला, सरकारी विभागों और प्रमुख कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय–स्तर) के एकीकरण से डिजिटल रूप से सशक्त भारतीय समाज का निर्माण करना है। इसके लिए योजनागत पहल होनी है। दूसरा, भारतीयों के लिए जनोपयोगी सेवा को तेज गति की इंटरनेट सुविधा पहुंचाकर सुलभ संभव बनाना है।

यह कार्यक्रम नागरिकों को जीवनपर्यंत, अनोखा, ऑनलाईन और प्रामाणिक रूप से डिजिटल पहचान उपलब्ध कराएगा। यह किसी भी ऑनलाईन सेवा जैसे बैंक खाता संभालना व वित्तीय प्रबंधन में मददगार होगा। इसके जरिए लोगों को सुरक्षित और सुनिश्चित साइबर स्पेस उपलब्ध कराना संभव होगा। शिक्षा व दूरस्थ शिक्षा आदि के लिए यह बेहद कारगर होगा। इससे सुशासन की मांग को पूरा किया जा सकेगा। ऑनलाइन सेवा को डिजीटलीकरण से वास्तविक समय पर लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। डिजिटल रूप में बदली हुई सेवा के वित्तीय लेन–देन को आसान बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और बिना नकद व्यवहार वाले ऑनलाइन व्यापार के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

विकसित जगत में होगा प्रवेश

अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढ़ांचे की मजबूती के लिए डिजीटलीकरण मौजूदा शताब्दी की अनिवार्यता है। इससे पश्चिम जगत के विकसित और संपन्न देशों तक भारतीयों की पहुंच मुमकिन होगी। डिजिटल सशक्तीकरण से डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुंच की ऊंचाई को हासिल किया जा सकेगा। डिजिटल साक्षरता वास्तव में ऑनालइन प्रमाणपत्र या जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के काम को आसान बनाएगी। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या किसी संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थिति की अनिवार्यता को कम किया जा सकेगा।

बजटीय प्रावधान से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने के काम को गति मिलेगी। डिजिटल साक्षरता के काम को स्किल डेवलमेंट योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत आने वाले दिनों में गांव–शहर में इंटरनेट के संचालन की समझ को बेहतर बनाने का व्यापक अभियान शुरू किया जाना है। इससे रोजगार की अपार संभावना पैदा होगी। इसके लिए आरंभिक काम के तौर पर ब्रॉडबैंड हाइवे सुनिश्चित करना, मोबाइल फोन के लिए वैश्विक पहुंच को सुनिश्चित करना, तेज गति इंटरनेट लोगों को सुगम बनाना, डिजीटलीकरण के माध्यम से सरकार में सुधार के जरिए ई–गवर्नेंस लाना, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से ई–क्रांति लाना, सभी के लिए ऑनलाईन सूचना उपलब्ध कराना और ज्यादा आईटी नौकरियों को सुनिश्चित करने का काम होना है, यह बड़ा लक्ष्य है।

केंद्र व राज्य में तालमेल की जरूरत

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के विभिन्न सरकारी विभाग जैसे आईटी, शिक्षा, कृषि आदि के द्वारा सेवायुक्त परियोजनाएं परस्पर संबद्ध होंगी। दूरसंचार और सूचना तकनीक मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आम भारतीयों को समान रूप से सुनहरे अवसर प्रदान किया जाना है। देश के लगभग 2,50,000 गांवों और देश के दूसरे आवासीय इलाकों में तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट में "भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड" की ओर से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है।

डिजिटल इंडिया में डाटा का डिजीटलीकरण आसानी से होगा जो भविष्य में चीजों को तेज और ज्यादा दक्ष बनाने में मदद करेगा। ये कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की बचत करेगा। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच आपसी सहयोग और गठबंधन के जरिए योजनाओं को गति दी जाएगी। तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए बड़ी संख्या के गांव वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों से पूर्ण रूप से डिजिटली लैस इलाकों के रूप में एक बड़े बदलाव से गुजरेगा। भारत में सभी शहर, नगर और गांव ज्यादा तकनीकी होंगे। मुख्य कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के निवेश के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है।

उद्योगपतियों का सहयोग

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को 2019 तक हासिल कर लेना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुरू की गई इस महात्वाकांक्षी योजना के लिए देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने सरकार से सहयोग करने का भरोसा दे रखा है। पहली जुलाई 2015 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, आरआईएल अध्यक्ष मुकेश अंबानी, विप्रो अध्यक्ष अजीम प्रेमजी आदि की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। डिजिटल इंडिया परियोजना में लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए अंबानी के द्वारा घोषणा की गई है। सरकार के बजटीय प्रावधानों के अलावा ई–कामर्स को गति देने के लिए अन्य औद्योगिक समूह ने भी अपना योगदान सुनिश्चित किया है। यह ऐसा कार्यक्रम है जो सेवाप्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुंचाएगा। कार्यक्रम की निगरानी और नियंत्रण के लिए डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह (संचार एवं आईटी मंत्रालय द्वारा संचालन) की व्यवस्था है। इसमें देश में 600 जिलों के गांव से शहर तक सूचना तकनीक की क्रांति के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इससे डिजीटल लॉकर, ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई–हस्ताक्षर और अब आधार जैसी योजनाओं को सर्वसुलभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल इंडिया का लाभ

बीती शताब्दी पूर्वाध में इसकी कल्पना संभव नहीं थी। इंटरनेट ने इसे संभव बनाया है। इसके तहत आम भारतीयों के लिए डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू होनी है। डिजिटल लॉकर में शैक्षणिक डिग्री, जमीन के दस्तावेज आदि फाइलों को ठीक उसी तरह से संरक्षित करना संभव होगा जैसे इन दिनों बैंकों के लॉकर में आभूषण या आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है।

इस व्यवस्था में रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई–शेयरिंग को सक्षम बनाया जाना है। आम भारतीय ई–दस्तावेजों के डिजिटल लॉकर की सुविधा से युक्त होगा। इसमें भौतिक दस्तावेजों के प्राकृतिक व कृत्रिम आपदों से बनी समस्या का निदान है। भौतिक दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण को कम किया जाएगा। कागजी कार्यवाही को न्यूनतम किया जाना संभव होगा। विभिन्न ऑनलाइन लक्ष्यों की प्राप्ति से संभव होगा कि कहीं से भी अपने दस्तावेज और प्रमाणपत्र को ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। इससे शारीरिक कार्य घटेगा। अनावश्यक थकावट से बचा जा सकेगा।

डिजिटल इंडिया से बदलाव की क्रांति

यह प्रभावशाली ऑनलाइन मंच है जिसके जरिए शासन प्रणाली में लोगों को शामिल किया जा सकता है। सार्वजनिक व व्यक्तिगत चर्चा, कार्य करना और वितरण जैसे काम को आसान बनाया जा सकेगा। ई–हस्तक्षार संरचना से नागरिक अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन हस्ताक्षरित कर पाएंगे। ई–अस्पताल से महत्वपूर्ण स्वास्थ्यपरक सेवाओं को आसान बनाया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर की उपलब्धता का पता लगाना, उनसे मिलने का वक्त लेना, फीस जमा करना, ऑनलाइन लक्षणिक जांच करना, खून आदि की जांच रिपोर्ट हासिल करना आदि मुमकिन होगा। ई–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रों को लाभ मिल रहा है। इसके जरिए जमा अर्जियों की प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अनुमोदन और संवितरण की स्वीकृति को आसान बना दिया गया है। डिजीटलीकरण से पूरे देश में नागरिकों के लिए सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाना मुमकिन हुआ है। ई–चौपाल के भारत नेट कार्यक्रम (तेज गति का डिजिटल हाइवे) के जरिए देश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना है।

कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

डिजिटल इंडिया की योजना में किसी पहल के लिए बाहरी स्रोत से मदद लेना नीति का हिस्सा है। मोबाइल पर ऑनलाइन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए वॉयस, डाटा, मल्टीमीडिया आदि में गुणात्मक सुधार लाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी कंपनी बीएसएनएल का लक्ष्य

अगली पीढ़ी का नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए 30 साल पुराने टेलीफोन एक्सचेंज को बदलने की है। बजटीय प्रावधान के जरिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक के लिए राष्ट्रीय केन्द्र फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके लिए पूरे देश में बीएसएनएल की ओर से बड़े पैमाने पर वाई–फाई हॉटस्पॉट को फैलाने की योजना पर काम हो रहा है। कनेक्टिविटी से जुड़े सभी मुद्दों को संभालने के लिए विकसित देशों की तरह पूरे देश को ब्रॉडबैंड हाइवे से जोड़ा जा रहा है। बड़े बदलाव का संकेत देते हुए दावा किया जा रहा है कि सभी शहर, नगर और गांवों में ब्रॉडबैंड हाइवे की खुली पहुंच की वजह से माउस के एक क्लिक पर विश्वस्तरीय सेवा की उपलब्धता आम भारतीयों के लिए मुमकिन होने जा रही है।

आधार की मान्यता से मिलेगी नई उड़ान

संसद के बजट सत्र में विशिष्ट बायोमैट्रिक्स पहचान संख्या से जुड़ी आधार योजना को कानूनी मान्यता मिलने की पहल से डिजिटल इंडिया को अपेक्षित उड़ान मिलना तय है। पिछली यूपीए सरकार ने आधार (वित्तीय, अन्य सहायताओं, सुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) योजना को लागू किया था। अब इसे कानूनी मान्यता दिलाने के लिए बने आधार विधेयक 2016 को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। वित्तमंत्री ने इस मौके पर लोकसभा में बताया कि विधेयक का मूल उद्देश्य सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों को जरूरतमंदों तक पारदर्शी व सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का अधिकार प्रदान करना है। चूंकि यह मदद सरकारी खजाने से जाएगी इसलिए आधार विधेयक को मनी बिल का नाम दिया गया है। इस व्यवस्था से जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली सरकारी मदद बिचौलियों के हाथों में जाने से बचेगी और इससे सरकार के हजारों करोड़ रुपए समुचित हाथों तक पहुंचेंगे। देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या बहुत है। उन तक रसोई गैस, मोबाइल डाटा और जन–धन योजना का लाभ पहुंचाने में कानूनी तौर पर मान्य आधार योजना महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

वित्तमंत्री के मुताबिक हर उस भारतीय नागरिक के पास आधार कार्ड है जो साल में कम से कम 182 दिन देश में रहा है। लगभग 97 प्रतिशत लोगों के हाथ आधार कार्ड पहुंच गया है। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों को आधार के जरिए ही पैसा सीधे खातों में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आधार से जुड़ी जानकारियों का इस्तेमाल केवल और केवल सरकारी मदद के लिए ही होगा। अन्य किसी भी सेवाओं के लिए इसका इस्तेमाल निषिद्ध है। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों के मामले में ही आधार की जानकारी साझा की जा सकेगी। अन्य किसी भी हालत में ऐसा करने वाले को तीन साल की जेल की सजा या फिर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की व्यवस्था की गई है।

आधार कार्ड को कानूनी मान्यता मिलने के बाद 2019 तक डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने का काम आसान होता दिख रहा है। इसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजटीय प्रावधान से डिजिटल आधारभूत ढांचे के निर्माण को गति मिलना तय है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं की पहुंच आम जनता तक बनानी है और डिजिटल साक्षरता के लक्ष्य को हासिल किया जाना है।

सुदृढ़ होगा टू–वे प्लेटफॉर्म

इस महती योजना में एक टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा जहां पर दोनों (सेवाप्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ होगा। यह एक अंतर–मंत्रालयी पहल होगी जिसमें सभी मंत्रालय तथा विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि अपनी –सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगे। इसके लिए चयनित रूप से पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र के पुनर्निर्माण की योजना है। यह योजना मौजूदा सरकार की ओर से सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है।

हालांकि इस योजना में फिलहाल पर्याप्त लीगल फ्रेमवर्क की कमी, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी नागरिक स्वायत्तता हनन की आशंका, भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी तंत्र का अभाव तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण खामियां नजर आ रही हैं। योजना को प्रभावी बनाने के लिए इन खामियों की पहचान कर जल्द समाधान तलाशने की जरूरत है। इस जरूरत के बीच डिजिटल इंडिया को समय पर कार्यान्वित करना अधिक जरूरी लग रहा है क्योंकि इससे भारत को सशक्तीकृत किए जाने का राष्ट्रीय दायित्व पूरा होना है। दरअसल कई दिक्कतों की पहचान का काम क्रियान्वयन के क्रम में सामने आने वाली परेशानियों को समझकर ही संभव हो पाएगा।

(25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। लेखक प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर से जुड़े रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजतक, जी न्यूज, न्यूज 24 आदि से जुड़े रहे। काठमांडू में नेपाल वन टीवी के प्रबंध संपादक भी रह चुके है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में मीडिया सलाहकार और पाक्षिक पत्रिका *शुक्लपक्ष* के सलाहकार संपादक हैं।)

ई–मेलः aloksamay@gmil.com